



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2016/चैत्र 24, 1938

No. 112]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2016/CHAITRA 24, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016

फा. सं. 13/6/2009-इंफ्रा.—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची (अनुबंध-I) एतद्द्वारा अधिसूचित की जाती है। नई सूची में 13 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन सम्मिलित किए जाएंगे।

1. "परिवहन" की श्रेणी के अंतर्गत नया उप-क्षेत्र "पोत कारखाना" जोड़ा गया है।

शर्मिला चावलि, संयुक्त सचिव (अवसंरचना)

अनुबंध-I

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची

क्र.सं.	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1	2	3
1.	परिवहन	<ul style="list-style-type: none"> • सड़क और पुल • पत्तन¹ • पोत कारखाना² • अन्तर्देशीय जलमार्ग • एयरपोर्ट • रेलवेमार्ग, सुरंग, सेतु, पुल³ • शहरी लोक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टॉक के सिवाय)

1	2	3
2.	ऊर्जा	<ul style="list-style-type: none"> • विद्युत उत्पादन • विद्युत पारेषण • विद्युत वितरण • तेल पाईपलाइनें • तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा⁴ • गैस पाईपलाइनें⁵
3.	जल और स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> • टोस अपशिष्ट प्रबंधन • जल आपूर्ति पाईपलाइनें • जल शोधन संयंत्र • मलव्यय संग्रहण, प्रबंधन तथा निपटान प्रणाली • सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि) • स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली • पतले मसाले की पाईपलाइनें
4.	संचार	<ul style="list-style-type: none"> • दूर संचार (फिक्स्ड नेटवर्क)⁶ • दूरसंचार टावर • दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं
5.	समाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचना	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संस्थाएं (कैपिटल स्टाक) • अस्पताल (कैपिटल स्टाक)⁷ • 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल • औद्योगिक पार्कों तथा फूड पार्कों, टैक्सटाईल पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधा तथा कृषि बाजार जैसी औद्योगिक गतिविधि सहित अन्य पार्कों हेतु साझी अवसंरचना • कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना • टर्मिनल बाजार • मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं • प्रशीतन श्रृंखला⁸ • भारत में किसी भी स्थान पर स्थित वे होटल जिनमें प्रत्येक की परियोजना लागत⁹ 200 करोड़ रुपये से अधिक की है और वे किसी भी स्टार रेटिंग के हैं, • सम्मेलन केंद्र जिनमें प्रत्येक की परियोजना लागत⁹ 300 करोड़ रुपये से अधिक है ।

1. बड़े तलकपर्षण शामिल हैं ।
2. “पोत कारखाने” को तैरती हुई अथवा तटीय, घुमावदार बंदरगाह, लंगरगाह और डॉकिंग सुविधा, जलावतरण मंच और/अथवा पोत उठाव की आवश्यकता विशेषताओं के चलते भू-आधारित सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है, और जो पोत निर्माण/मरम्मत/पोत तोड़ने के कार्यकलाप करने में सक्षम है ।
3. लोडिंग/अनलोडिंग टर्मिनलों, स्टेशनों तथा भवनों जैसी सहायक टर्मिनल अवसंरचना शामिल हैं ।
4. कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडारण शामिल है ।
5. शहरी गैस सवितरण नेटवर्क शामिल है ।
6. ऑप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क, जो ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं ।
7. चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केंद्र शामिल हैं ।
8. कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर की प्री-कूलिंग हेतु प्रशीतन कक्ष सुविधा शामिल है ।
9. दिनांक 8/10/2013 (संदर्भ राजपत्र अधिसूचना संख्या 225) से तीन वर्षों के भावी प्रभाव के लिए पात्र परियोजनाओं हेतु उपलब्ध; पात्र लागत में भूति की लागत तथा पट्टे के प्रभार शामिल नहीं हैं परंतु निर्माण के दौरान ब्याज शामिल है ।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****(INFRASTRUCTURE SECTION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2016

F.No.13/6/2009-INF.—With the approval of the Competent Authority, an updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors (**Annexure-I**) is hereby notified. The new list incorporates the following change to the notification dated 13th October, 2014:

1. Under the category of “Transport” a new sub-sector – “Shipyards” is added.

SHARMILA CHAVALY, Jt. Secy. (Infra)

Annexure-I**Updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors**

Sl.No.	Category	Infrastructure sub-sectors
1	2	3
1.	Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Roads and bridges • Ports¹ • Shipyards² • Inland Waterways • Airport • Railway Track, tunnels, viaducts, bridges³ • Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)
2.	Energy	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity Generation • Electricity Transmission • Electricity Distribution • Oil pipelines • Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility⁴ • Gas pipelines⁵
3.	Water and Sanitation	<ul style="list-style-type: none"> • Solid Waste Management • Water supply pipelines • Water treatment plants • Sewage collection, treatment and disposal system • Irrigation (dams, channels, embankments, etc.) • Storm Water Drainage System • Slurry Pipelines
4.	Communication	<ul style="list-style-type: none"> • Telecommunication (fixed network)⁶ • Telecommunication towers • Telecommunication & Telecom Services
5.	Social and Commercial Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> • Education Institutions (capital stock) • Hospitals (capital stock)⁷

1**2****3**

- Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million
- Common infrastructure for Industrial Parks and other parks with industrial activity such as food parks, textile parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agriculture markets
- Post-harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce
- including cold storage
- Terminal markets
- Soil-testing laboratories
- Cold Chain⁸
- Hotels with project cost⁹ of more than Rs. 200 crores each in any place in India and of any star rating
- Convention Centers with project cost⁹ of more than Rs. 300 crores each.

¹ Includes Capital Dredging

² “Shipyard” is defined as a floating or land-based facility with the essential features of waterfront, turning basin, berthing and docking facility, slipways and/or ship lifts, and which is self sufficient for carrying on shipbuilding/repair/breaking activities.

³ Includes supporting terminal infrastructure such as loading/unloading terminals, stations and buildings.

⁴ Includes strategic storage of crude oil.

⁵ Includes city gas distribution network.

⁶ Includes optic fibre/wire/cable networks which provide broadband / Internet.

⁷ Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostics Centres.

⁸ Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat.

⁹ Available with prospective effect for three years from 8/10/2013 (reference Gazette Notification No.225) for eligible projects; Eligible costs exclude cost of land and lease charges but include interest during construction.
